उपसभापति : ग्राप चिल्लाएंगे नहीं ।

श्री रोम सबधेश सिंह : मैं संसद में चिल्लाकर सड़क की श्रोर जाना चाहता हूं कि...(व्यवधान)।

उपसभ पितः राम भ्रवधेश जी, मैंने
भ्रापसे रिक्वेस्ट किया कि ग्राप बैठ जाइए।
चिल्लाने से काम नहीं होगा । भ्रापकी
सरी बातें नोट हो गयी हैं। वह सरकार
के पास जाएंगी इसलिये भ्राप कृष्या
बैठ जाइए । उनका भी कोई महत्व का
उल्लेख है।

श्री राम श्रवधेश सिंह: मैं श्राज यह मन बनाकर श्राया हूं कि सरकार जवाब देकि वह क्या करेगी...(श्रयवधन)...

उपसभापति : राम अवधेश जी, श्रब इसके श्रलावा श्राप जो बेलेगे वह रिकार्ड में नहो जाएगा श्राप बैट जाइए । इस तरह श्रापकी बात की श्रहमियत खत्म हो जाएगी । किन्न

भी राम प्रवधेश सिंह: **

Need for introduction of Hindi and other regional languages as medium for examinations conducted by the Union Public Service Commission

डा० रतनाकर पाण्डे (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं पश्लिक ें कमीशन की परीक्षाश्रो में हिंदी ^र भारतीय भाषाय्रों को मान्यता हिए जाने के बाबत् श्रापके माध्यम से सदन का ध्यान श्चानुष्ट करना चाहता हं । वहां कई महीनों से बहुत से हिंदी सगठनो धीर धनेक विश्वविद्यालयो के छाट ग्रामरण अन्सन पर बैठ हा हैं। महोदय, पालिक सर्विस कमीशन हमारे राष्ट्र का सरकारी कर्मे ि चारियों/ग्रधिकारियों के चनाव करने का महत्वपूर्ण मंच है। उस मंच पर 41 वर्षों के बाद भी केवल एक परीक्षा में भ्रंगेजी का विकल्प रखा गया है हिंदी भ्रीर बाकी 1.4 परीक्षाम्रो में म्रंग्रेजी की सनिवादता बना टी गयी है। यह बड़े ही चिताका

विषय है। इस देश के करोड़ों नौजवान भाषाद्यों-तिमल, तेलगु, कन्नड़, भारतीय मलयालम उर्द, गजराती, पंजाबी, मराठी श्रयात् संविधान में जितनी भाषात्रों को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, मैं इन सभी का उल्लेख करना चाहता हं, उनके माध्यम से परीक्षा देने का बंधन लगा दिया गया है। यह बड़े चिता की बात है। अगर सदन सहमत हेतो मै नहंगा कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि एक विदेशी भाषा में, उनकी भाषा में जो हमें सैकडों वर्षों तक गलाम बनाए रहे, उनकी भाषा में परीक्षा ली जाय । उसकी श्वनिवार्यता बनाए रखी जाए इस सदन में बार-बार यह प्रश्न स्टता रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय का ध्यान उस स्रोर नहीं गर्या है। लोक सेवा श्रायोग के श्रधिकारी उन स्तृतियों को सरकार की फारवर्ड करने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय भाषाधो में ५रीक्षाएं हो । इस देश मे जहां करेड़ो बच्चे हिंदी धीर अन्य भारतीय भाषाएं पहते हैं इनको नेवल ग्रंग्रेजी की श्रनिवार्यता बनाकर इस देश की प्रगति में हिस्सेटारी से दूर रहने का षड्यंट ब्यरोफ्रेटस कर रहे हैं। मैं गह मत्रालय को बधाई देना चाहता ह कि ग्रभी घोषणा की गयी है कि दो वर्ष में ग्राई त्टी त्प्राई० की परीक्षाएं हिदी शौर भारतीय भाषाश्ची में होने लगेगी । लेकिन गह मंद्रालय जिस तरह से जनता की श्रावाङ को धर्र भारतीय जनतंत्र की अभिव्यवित वाली हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार धौर एक तरह से कान में रई डालकर बैटा हथा है, उसकी निंदा मैं इस सदन के माध्यम से करता हूं। मैं मांग करता हं कि पीरएसरसी० की सभी परीक्षाओं में भ्रंग्रजी की भ्रनिवार्यता के समाप्त किया जाए। इस देश के करोड़ी नौजवानो को घेखा न दिया जाय । मै मांग करता हं गृह मवालय जल्दी-से-उन्दी हिंदी श्रीर भारतीय भाषाश्चीं को पब्लिक सर्दिस कमीशन की परीक्षात्रों में माध्यम बनाए ।..... (घट हर न)... इन शब्दों के साथ मैं श्रापका ध्यान भ्रा ष्ट करना चाहता हं श्रीर आपके माध्यम से भारत सरकार के ग्ह एंट्रालय को कहना चाहता हूं जो ब्यरोक्रेटस इसमें बाधक हैं उनके विरुद्ध

^{*}Not recorded.

कार्रवाई करनी चाहिए । संसदीय राजभाषा समिति के कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनके सामने जब पब्लिक सर्विस कमीशन लोग ऋषे थे तो हर प्रक्त का उन्होंने टालने वाला उत्तर दिया। यह कहा कि हम नहीं कर सकते। यह अनुचित है और यह उनकी मनमानी है । गृह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण का द्योतक है इसकी मैं निन्दा करता हूं। मैं मांग करता हूं कि जैसे शिक्षा मंद्रालय ने दो वर्ष के अपंदर म्राई∙प्राई∘टी० की परोक्षाएं हिन्दी ग्रौर भारतीय भाषात्रों मे ऋनिवार्य की हैं उसी तरह से निश्चित रूप से पब्लिक सर्विस कमीशन को परीक्षाएं भी ग्रनिवार्य रूप से हिन्दी ग्रौर भारतीय भाषाग्रों में भी होनी चाहिए ताकि इन देश की नयी पीढी अपनी अत्माभिव्यक्ति अपनी भाषा मे करके ग्रपनी योग्यता के ग्रनुरूप सरकारी महकमों में ग्रपना स्थान वा सकें धन्यवाद ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : हम हिंदय से इसका समर्थन करते हैं । κ

ेश्रो राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : सारा सदन इसका समर्थन करता है।

श्री पशुपति नःथ सुकुल (उत्तर प्रदेश):
 हम इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधःन)

श्री मीर्जा इशांदबेंग (गुजरात): मुझे यह कहना है कि संविधान में इसकी स्वीजित दी हुई है लेकिन स्वीकृति देने के पश्चात् भी यहां जो नियम पारित किये गये हैं, संसद ने जो संकल्प पारित किया है उसका भी सही रूप से कार्या वयन नहीं हो रहा है। जो राजभाषा का स्टेटस है उसकी मांग करता हूं। मैं केवल हिन्दी समर्थन की बात नहीं करता लेकिन राजभाषा का जो स्तर है उस स्तर को सही माता में जो गौरव मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। संविधान में जो स्वीकृत किया गया है उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने की कड़े शब्दों में आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री लाल ्डण ग्राडवाणी (मध्य प्रदेश): महोदया, यह प्रश्न ५हली बार इस सदन में नहीं खड़ा हुआ है। अनेकों बार पहले भी खड़े हो चुके है ग्रीर फिर भी मै इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। ग्राई०ग्राई० टी0 की परीक्षाओं के लिए अयंग्रेजी की श्रनिवार्यता को दूर करने के लिए छात्रो को वहां पर भूख हड़ताल करनी पडी. धरना देना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग के समने भी इस समय धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। इसके बजाय **ग्र**च्छा होगा कि जहां-जहां ५र क्र<mark>ग्रेजी</mark> की म्रनिवार्यता है ग्रौर भारतीय भाषाश्रों के प्रयोग ५२ किसी भी प्रकार की पाबन्दी है उन सब जगहों पर जहां केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह स्वयं उसमें पहल करके. देख करके इसकी व्यवस्था कर दे ताकि इस प्रकार की मांग करने की जरूरत न April 1800 Jan

इस सदन में एक समय था जब केवल श्रंग्रेजी श्रौर हिन्दी में ही बोला जाता या लेकिन ग्रागे चल कर सब को स्वीकार हुन्ना कि कोई भी तमिल में बोलना चाहे, तेलुगु में बोलना चाहे, कन्नड में बोलना चाह तो वह बोल सकता है लेकिन पहले से सूचना देनी पड़ेगी कि वह कन्नड़ में बोलना चाहता है, तमिल में बोलना चाहता है या तेलुगु में बोलना चाहता है ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके। इसके लिए हमें कोई धरना नहीं देना पड़ा। इसी प्रकार से मैं समझता हूं यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हए है वह इस सदन की इच्छाग्रों को ध्यान में रख कर सरकार से कहेंगे कि वह इसमें पहल करे ग्रौर जो यू० पी० एस० सी० के सामने छात्रों का धरना चल रहा है उनको जाकर भ्राज ही भ्राश्वासन देंगे कि इस दिशा में वह यह करने जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वह ग्रवश्य इस पर ध्यान देंगे। सारा सदन इससे सहमत है।

ं उपसभापित: पूरा सदन इससे सहमत है इसलिए ग्रलग-ग्रलग बोलने की जरुरत नहीं है । (ब्यवधःन)

डा० श्रवार ग्रह्मद खान (राजस्थान): संघ लोक सेवा धायोग पर छात श्रांदोलन

[डा० ग्रबरार ग्रहमद खान]

कर रहे हैं। ग्राप देखिये विदेशी भाषा को कितना महत्व दिशा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता ह कि यु वी एस । सी । में जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती है उसके ग्रंदर सबसे श्रंग्रेजी की कापियां जांची जाती हैं। ग्रगर ग्रंग्रेजी में कोई फेल हो जाता है तो बाकी विषयों की कापियां नहीं जांची जाती। यही महत्व दिशा जा रहा है हमारे यहां की भाषात्रों को ? इसीलिए हम दिन्दी को क्या ष्ट्भाषा कहते हैं ? अप्रेजी जो गुशमी की प्रतीक हैं उनको इतना महत्व दिंग जा रहा है। उपसभारति महोदया, मैं ग्राप के माध्यम से सरकार से आग्रह करूगा कि कम से कम किसी भाषा को अलग से विशेष महत्व न दिरा जाये। कापियां ग्रगर जांची जाएं तो सब साथ साथ जांची जाएं। जो मैरिट लिस्ट बनायी जाएं वह सभी भाषात्रों की कापियां एक साथ जांचने के बाद ही बरायी जाएं। (व्यवधान)

उपसमापित: म्राप बैठ जायें। पूरा सदन इसके याथ सहमत है। म्रभी दूसरा काम भी करना है इसलिए म्राप बैठ जाइये।

श्री सत्य प्रक'श मालवीय (उत्तर प्रदेश) : श्राश्वासन तो दिला दीजिए ।

उपत्रसापित मंत्री जी प्रभी कैसे भारतासन दे सकते हैं।

श्रो सत्य । शाम लवीय: जब सारा सदन इससे सहमत है तो मंत्री जी को ग्राश्वासन देना चाहिए (बावधान)

उपतमः पितः पालियामेंटरी अफेयर्सं मिनिस्टर मौजूद हैं। यह इस सदन की इच्छाओं को सरकार को पहुंचा देंगे और जो कुछ सरकार इस पर निर्णय लेगी उसको हाउस को आकर बता देंगे। अब कृत बैठ जाइये।

12.00 NOON

उपतमापित: मंत्री जी यहां पार्लिया-मैन्ट्री प्रफेयर्स के यहां पर मोजूद हैं। वे स्रापकी बात सरकार तक पहुंचायेंगे स्रौर जो कुछ सरकार निर्णय लेगी, उसको हाउस में भी बतायेंगे। श्रव श्राप बैठ जाइये सब लोग, हमें दूसरा काम भी करना है ... (ब्यवधान)

श्री राम श्रवधेश तिह (बिहार) : महोदया, मैंने श्रभी बोलना है ... (ब्यवधान)

उपतम पति : ग्राप बोल चुके हैं। ग्रब क्या बोलना है ? बिल पर बोन लीजिए।

श्री राम श्रवधेश तिह : बिल पर नहीं बोलना है, हमको बिहार के बारे में बोलना है । ग्रापकी सरकार क्या कर रही है हम जवाब चाहते हैं । जवाब नहीं होगा तो मैं इसी सदन में बैठकर घरना दूंगा । . . . (ब्यवध न) . . .

उपसभ पति : मैं ग्रापसे कह रही हूं कि ग्राप बैठ जाइये, बस बैठे रहिए।

भी राम श्रवधेश तिह : सरकार जवाब दे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ... (क्यवधान)

उमतभापित : मैंने ग्रापको दो मिनट
पहले बताया कि हाउस चलाने का कोई
तरीका होता है ग्रापने स्पेशल मेंशन
क्या, ग्रापकी बात मंत्री जी ने सुनी ।
मंत्री जी उसकी सरकार तक पहुंचायेंगीं ।
उसका जवाब ग्रापको मिलेगा, मगर ग्राप
यहां घरना दे रहे हैं, मैं कहती हूं ग्राप
बैठ जाइये । Nothing will go on
record that you say.

श्रो राम ग्रवधेश तिहः मैं नहीं बैठूंगा मैं सरकार से मांग कर रहा हूं (ब्यवधान)

(इस संयमाननोय सदस्य सभाषीठ के समोव लेखालो स्थान पर बैठाए)

उप तभापित : यह कोई प्रच्छा तरीका नहीं है । ग्राप इस हाउस के मैम्बर हैं यह बहुत समझदारी की बात होगी कि ग्राप यहां से चले जाइये । मैं ग्रापसे रिक्वैस्ट करती हूं कि ग्राप यहां से बाहर चले जाइए । इससे कोई फायदा नहीं होगा । म्रखबार वाले कुछ लिखेंगे नहीं ...(व्यवधान)

ग्रब हम ग्रगला कार्य गुरू करते हैं। श्री शंकरानन्द।

- I. CONSTITUTION (SIXTY SE-COND AMENDMENT) BILL, 1988.
- II. REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1988.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): Madam, I beg to move.

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I also beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, and the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The two Bills represent a historic step towards the further strengthening of the democratic process in our country. Ours is one of the biggest and stable democracies in the world. A large percentage of our population lives in rural India. All our citizens may not be highly educated; but they are wise and matured. When it comes to the question of exercising the right to vote, the Indian voter, whether he is in urban area or the rural area, is quite elever and politically conscious.

The success of Parliamentary democracy in our country is admirable. How, Members are aware that the subject 'electoral reforms' has been keenly debated, both in the Parliament and outside. We have an old established electoral system and codified election laws covering all aspects of the preparation for and the conduct of elec-

tions. Since Independence, we holding have been elections. review all the previous of elections held, it is found that electoral process and the system have been under various stresses and strains which, if allowed to remain unchecked may undermine the very democratic process and the system itself. Our past experience emphasised a pressing need for improvements in the electoral process. Government and the Election Commission have been studying the of electoral reforms question a long time past. From time to time, the Election Commission formulated several proposals ernment have taken necessary steps to bring about improvements. Hon. Members would recall that the Government, under the bold and dynamic leadership of Shri Rajiv Gandhi, the Prime Minister, took the unprecedented step by enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act to deal with the evil of political defection. Another significant step also taken was enactment of the Companies (Amendment) Act, 1985, to legitimise the flow of funds from corporate sector to political parties. Recently. the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act was passed to separate religion from politics. The two Bills. the present Bills, now brought before the House are in continuation of the efforts of the Government to further strengthen the electoral process.

Various proposals regarding electoral reforms have been widely debated in the press and other fora. Several political parties expressed their views ana suggestions, both in Parliament and outside. Government took note of all these various suggestions. Government also held consultations with the representatives of nolitical parties in Parliament to ascertain their specific ideas. The Prime Minister had also conveyed to this House the serious concern of the Government regarding electoral reforms. If matter was taking time, it was only because the subject was complex and